

संख्या : फिश -ए (8)-1 / 2018  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
मत्स्यपालन विभाग।

\*\*\*\*

प्रेषक :-

सचिव (मत्स्यपालन),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Directorate of Fisheries

४५९२

18 AUG 2021

Bilaspur (H.P.)

प्रेषित :-

निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य  
हिमाचल प्रदेश,  
बिलासपुर-174001.

दिनांक: शिमला-171002,

१८ अगस्त, 2021

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन दिनांक  
01. 04. 2020 से 31. 03. 2021 तक भेजने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र संख्या: फिश-ए ( 8 ) - 6 / 2020-

स्टैट-III —5922 — दिनांक 29.07.2021 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आप के  
द्वारा तैयार उक्त वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन आंशिक संशोधन उपरान्त अनुमोदित कर  
दिया गया है, जिस की एक प्रति वापिस की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन की 10 प्रतियां तैयार करके  
अविलम्ब इस विभाग को भेजने की कृपा करें, ताकि इसे हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय  
को समय पर भेजा जा सके।

16/08

Stat

भवदीया

उमिला गुप्ता  
उप सचिव (मत्स्यपालन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

\*\*\*\*



# गार्डिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2020-21

मानिस्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश  
बिलासपुर-174001

ई मेल:- [fisheries-hp@nic.in](mailto:fisheries-hp@nic.in) वैबसाईट:- [hpfisheries.nic.in](http://hpfisheries.nic.in)

## अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विषय	पृ० सं०
1.	पुर्वावलोकन	1-2
2.	विभाग का संरचनात्मक ढांचा	2-6
3.	वार्षिक योजना 2020-21 के लक्ष्य एवं प्राप्तियां	7-8
4.	विभागीय उद्देश्य	8-9
5.	वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां	10-12
6.	वार्षिक योजना 2020-21	12-13
7.	निर्देशन एवं प्रशासन	14-14
8.	प्रमुख विभागीय योजनाएं	14-26
9.	विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं	27-33
10.	प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार	33-33
11.	वर्ष 2020-21 के वित्तीय प्रावधान	34-35
12.	सूचना का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 खण्ड 4 (1) (बी) के अन्तर्गत सूचना	35-38
13.	अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य	39-64

## पुर्वावलोकन

हिमाचल प्रदेश में मात्स्यकी विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में हुई। इससे पूर्व वन विभाग का एक विंग मत्स्य विभाग के कार्य की देख-रेख कर रहा था तत्पश्चात प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास व दोहन करके विभाग स्वतन्त्र रूप से प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जल प्रदान किया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी क्षेत्रों से गुजरती हुई मैदानों में जाती है और इन नदियों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातीयां जैसे गुगली (साइजोथैरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राऊट पाई जाती हैं। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वाकांक्षी इण्डो-नौरविजियन ट्राऊट फार्मिंग परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राऊट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, कोलडैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातीयां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई हैं। प्रदेश में निम्नलिखित जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया गया :-



शीत जल

: द्राऊट जल 600 कि०मी०



सामान्य जल

: 2400 कि०मी०



जलाशय जल स्रोत

: 43785 हैक्टेयर



तालाबों एवं छोटे चश्मों के रूप में सामान्य जलक्षेत्र :

851.01 हैक्टेयर



ठण्डे क्षेत्रों की प्राकृतिक झीलें एवं निर्मित तालाब :

617 हैक्टेयर

## 2

**विभाग का संरचनात्मक ढांचा**

हिमाचल प्रदेश मान्त्रिकी विभाग में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य (विभागाध्यक्ष) के अतिरिक्त 2 उप-निदेशक मत्स्य, 07 सहायक निदेशक मत्स्य, 7 वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, 02 सांचिकी की सहायक व 20 मत्स्य अधिकारी अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ कार्य निष्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान श्री वीरेन्द्र कंवर, माननीय ग्रमीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्य पालन मन्त्री के रूप में, डा० एसएस गुलेरिया, सचिव (मत्स्य), के रूप में विभाग के मार्गदर्शक तथा श्री सतपाल मैहता, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य के रूप में कार्यरत रहे। निदेशालय स्तर पर श्री सुशील जनार्था, उप-निदेशक मुख्यालय, श्रीमति चंचल ठाकुर कार्यकारी सहायक निदेशक मत्स्य-20 सूत्रीय कार्यक्रम, श्री देवसेन नेगी अधीक्षक ग्रेड-I, श्री विशाल गुप्ता व श्री अशोक कुमार सांचिकी की सहायक मुख्यालय, समस्त तैनात कर्मचारी वर्ग के साथ तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुल्लू में उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल व अन्य

जिलों में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उच्चरदायी रहे। केवल जिला हमीरपुर में यह कार्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य की देखरेख में, जिला किन्चौर में मत्स्य अधिकारी, सांगला द्वारा तथा जिला लाहौल व स्थिति में विभाग का कोई अधिकारी तैनात न होने के कारण यह कार्य लाहौल में वन मण्डल अधिकारी द्वारा तथा पांगी एवं स्थिति में सहायक निदेशक पशु पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया।

### वर्ष 2020-21 में उपलब्ध विभागीय संरचना

क्रं०सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री वीरेन्द्र कंवर	माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्यपालन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
2.	डा० एसएस गुलेरिया	सचिव (मत्स्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
3.	श्री सतपाल मैहता	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर।
4.	श्री सुशील जनार्था	उप-निदेशक मत्स्य (मु०), मत्स्य निदेशालय बिलासपुर, हिं०प्र०।
5.	श्री महेश कुमार	उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हिं०प्र०।
6.	श्री हमीर चन्द	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला शिमला, हिं०प्र०।
7.	श्री तपेश चौहान	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला सोलन, हिं०प्र०।
8.	श्री तपेश चौहान	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर, हिं०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार)
9.	श्री योगेश गुप्ता	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला ऊना, हिं०प्र०।
10.	श्री खेम सिंह ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी, जिला मण्डी, हिं०प्र०।
11.	श्री भूपेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला चम्बा, हिं०प्र०।

12.	श्री श्याम लाल शर्मा	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला बिलासपुर, हिं0प्र०।
13.	श्री जय सिंह	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंग डैम, जिला कांगड़ा, हिं0प्र०।
14.	श्री पंकज ठाकुर	कार्यकारी सहायक निदेशक मत्स्य, (मु०) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर, हिं0प्र०।
15.	श्रीमति चंचल ठाकुर	कार्यकारी सहायक निदेशक मत्स्य, (बीस सूत्रीय कार्यक्रम) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर, हिं0प्र०।
16.	डॉ० सोम नाथ	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म नालागढ़, हिं0प्र०।
17.	श्री विवेक शर्मा	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, दयोली गगरेट, जिला ऊना, हिं0प्र०।
18.	श्रीमति नीतू सिंह	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिं0प्र०।
19.	श्री राकेश कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म दयोली बिलासपुर, हिं0प्र०।
20.	श्री संदीप कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर, स्थित कार्प फार्म कांगड़ा, हिं0प्र०।
21.	श्री अरुण कान्त वर्मा	मत्स्य अधिकारी, मच्छयाल, जिला मण्डी, हिं0प्र०।
22.	श्रीमति रिचा गुप्ता	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म अल्यू, जिला मण्डी, हिं0प्र०।
23.	श्री अजय कुलदीप	मत्स्य अधिकारी, द्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हिं0प्र०।
24.	श्री राम सिंह	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जड़झू, जिला बिलासपुर, हिं0प्र०।
25.	श्री राजेन्द्र पाल	मत्स्य अधिकारी, द्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हिं0प्र०।
26.	श्री दुनी चन्द	मत्स्य अधिकारी, द्राऊट फार्म हामणी, जिला कुल्लू, हिं0प्र०।

27.	श्री सुरेन्द्र कुमार पटियाल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, लठियाणी, जिला ऊना, हि०प्र०।
28.	श्री हितेश कुमार कौण्डल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, कसोल, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
29.	श्री तेजराम	मत्स्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०।
30.	श्री प्रीतम चन्द्र	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, संधारा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
31.	श्री मनजीत सिंह	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, नगरोटा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
32.	श्री विजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
33.	श्री प्रदीप कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, सुन्नी, जिला शिमला, हि०प्र०।
34.	श्री विमल गुलेसिया	मत्स्य अधिकारी, बरोट, जिला मण्डी, हि०प्र०।
35.	श्री विकास चन्द्रा	मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म थला, जिला चम्बा, हि०प्र०।
36.	श्री अजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
37.	श्री राकेश कुमार	मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म सांगला, जिला किन्नौर, हि०प्र०।
38.	श्री पंकज पटियाल	मत्स्य अधिकारी, खटियाड़, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
39.	श्री नितिन महन्त	मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म धमवाड़ी, जिला शिमला, हि०प्र०।
40.	श्रीमति कविता भाटिया	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
41.	श्री दिलवर सिंह	उप-निरीक्षक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
42.	श्री निलमनी	उप निरीक्षक मत्स्य, कार्प फार्म बद्रीपुर, जिला सिरमौर, हि०प्र०।

43.	श्री बलजीत सिंह	उप निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
44.	श्री सूरम सिंह	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, मान्दली, जिला ऊना, हि०प्र०।
45.	श्री लेख राज	उप निरीक्षक मत्स्य, सांगला, जिला किन्नौर, हि०प्र०।
46.	श्री अम्मी चंद	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
47.	श्री श्याम लाल	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बैरल, जिला सोलन, हि०प्र०।
48.	श्री रमेश कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, भाखडा, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
49.	श्री सुन्दर लाल	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, धमेठा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
50.	श्री सर्वजीत कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, राजनगर जिला चम्बा, हि०प्र०।
51.	श्री मानव कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, हरीपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
52.	श्रीमती अनीता कुमारी	उप-निरीक्षक मत्स्य, बटाहर, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
53.	श्री अंकुश धीमान	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बरनाली, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
54.	श्री विवेक कमल	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जगातखाना, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।




**बरोट ट्राउट फार्म, जिला मण्डी हि०प्र०।**

### 3

### वार्षिक योजना 2020-21 के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

क्रं.सं.	मद	वार्षिक योजना 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक योजना 2020-21 की प्राप्तियां
1.	मत्स्य उत्पादन (मीट्रिक टन)	14721.15	15288.60
2.	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	758.00	666.76
3.	ट्राउट ओवा उत्पादन (लाख)	18.80	17.26



## 4

## विभागीय उद्देश्य

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्धन से मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी तथा वर्ष 2022 तक मत्स्य उत्पादन को दुगुना करना;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;

- जलाशय तथा नदी नालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातीयों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना;
- ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मुलन में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातीयों के सम्बर्धन को बढ़ावा देना।



नदीय मात्स्यकी



जलाशय मात्स्यकी

## वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्त्रोतों से 20161.55 लाख रुपये की 15288.60 टक मछली का उत्पादन किया गया।
- विभागीय ट्राऊट फार्मों से इस वर्ष 30.28 लाख रुपये कीमत की 6.73 मीट्रिक टन खाने योग्य ट्राऊट का उत्पादन किया गया है। इन फार्मों से विभाग को कुल 101.72 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी 3065.94 लाख रुपये कीमत की 681.32 मीट्रिक टन ट्राऊट मछली का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में रेनबो ट्राऊट के सफलतापूर्वक प्रजनन के परिणामस्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, कांगड़ा, किन्नौर चम्बा व सिरमोर जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राऊट इकाईयों की स्थापना की गई है।
- इस वर्ष विभाग द्वारा सभी संसाधनों से 315.85 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है जोकि निर्धारित लक्ष्य (478.71) से 162.86 लाख रुपये गोविन्दसागर, पौंगडैम जलाशय का उत्पादन घट जाना तथा विभागीय ट्राऊट फार्म पतलीकूहल का गैर कार्यात्मक होने के कारण तथा कोविड-19 महामारी की वजह से कम रहा।
- राज्य के प्रमुख जलाशयों में इस वर्ष 5574 (गोविन्दसागर 2218, कोलडैम 115, पौंगडैम 2995, चमेरा 182 व रणजीत सागर 64) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन माहीगीरों द्वारा 9.53 करोड़ रुपये मूल्य की 605.43 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है, जिससे



ट्राऊट फार्म होली, जिला चम्बा



जलाशयों से मछली उत्पादन

मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है।

- विभागीय कार्प फार्मो से वर्ष 2020-21 में 666.76 लाख तथा निजी कार्प फार्मो से 13.00 लाख (कुल 679.76 लाख) मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।
- इस वर्ष 3556 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 106.68 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 485 नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- वर्ष 2020-21 में विभागीय वार्षिक योजना बजट 2780.81 लाख रूपये था। इसमें से 527.223 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना के अधीन व मु0 234.496 लाख रूपये जन-जातीय उपयोजना के अधीन व्यय किये गये हैं।
- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 485 नये रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- वर्ष 2020-21 के दौरान मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के शीतल जल के मछली उत्पादकों के पशुधन को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना (ट्राऊट पशुधन बीमा योजना) शुरू की है। इस योजना की प्रीमियम राशि 65:35 के अनुपात में राज्य सरकार व लाभार्थी के बीच सांझा की जा रही है। इस वर्ष विभाग ने 29 मत्स्यपालकों द्वारा निर्मित 43 ट्राऊट इकाईयों को बीमाकृत किया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम राशि मु0 19,175/- रूपये प्रति इकाई है।
- जलाशय के मछुआरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 40.00 लाख रु0 की वित्तीय सहायता से 3827 लाइफ जैकेट (गोबिन्द सागर-1727, पौंग डैम - 1798, कोलडैम - 99, चमेरा - 140 और रणजीत सागर - 63) राज्य के सक्रिय जलाशय मछुआरों को प्रदान की गई।
- प्रति वर्ष लगभग 4000 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को दो माह के बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 4500/- रूपये प्रति मछुआरा की दर

से वित्तीय सहायता प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना के घटक “मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछ़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता” के अंतर्गत प्रदान की जा रही है।

- कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के 5350 जलाशय मछुआरों को 27 दिन की राहत सहायता हेतु मु0 1.07 करोड़ रु0 (प्रति मछुआरा 2000 रु0) प्रदान की गई।

## 6

### **वार्षिक योजना 2020-21**

हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के उपरान्त निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज देश के पहाड़ी राज्यों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में श्वेत क्रान्ति, हरित क्रान्ति आने के बाद अब प्रदेश नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए वार्षिक योजना 2020-21 में 2780.81 लाख रुपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नांकित योजनाएँ कियान्वित की गई हैं:



निर्देशन एवं प्रशासन



जलाशय संरक्षण



कार्प बीज उत्पादन



ट्राइट बीज उत्पादन



कार्प बीज फार्मो का विस्तार



केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना “बील कान्ति” एकीकृत मात्स्यकी विकास एवं प्रबंधन



प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना "PMMSY"



सामुदायिक तालाबों का निर्माण



जनजातीय उप योजना



मात्स्यकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

## निर्देशन एवं प्रशासन

प्रदेश में नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय से मछली पालन विभाग के प्रमुख कार्य, ‘‘नदीय स्त्रोतों में परिघ्रहण मात्रिकी’’ को बढ़ावा देना था तथा राज्य में विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण मत्स्य उत्पादन के नए स्त्रोत, जलाशयों के तौर पर उत्पन्न हुए हैं जिनसे वर्तमान में प्रदेश के कुल मत्स्य उत्पादन का 3.96 प्रतिशत मत्स्य उत्पादन हुआ है। प्रदेश के निचले तथा ऊपरी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का तेज गति से उपयुक्त विकास करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के मात्रिकी संसाधनों पर दोहन का दबाव यद्यपि दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, परन्तु इनमें मत्स्य विकास व संरक्षण पर नियुक्त कर्मचारी बल की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है। इस वर्ष कुल स्वीकृत पदों में लगभग 134 पद खाली चल रहे हैं।



गोबिंदसागर जलाशय में मछली ग्रहण में लगा मछुआरा


योजना का नाम	वर्ष 2020-21 का बजट प्रावधान	वर्ष 2020-21 में व्यय
निर्देशन एवं प्रशासन	17.00 लाख	16.89 लाख

## प्रमुख विभागीय योजनाएं

(क) अन्तर्देशीय जलाशयों में मात्रिकी का प्रबन्ध एवं विकास :

(1) जलाशय संरक्षण :-

प्रदेश के जलाशयों का प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इसी तरह ये संसाधन बांध विस्थापितों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन जलाशयों में मत्स्य उत्पादन की बढ़ौतरी के लिए 70 मि.मी. आकार से बड़ा मछली का बीज संग्रहित किया जा रहा है। जिसके भविष्य में बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आने की सम्भावना हैं।



#### वर्ष 2020-21 के दौरान मत्स्य उत्पादन एवं राजस्व प्राप्तियां:-

जलाशय का नाम	मत्स्य उत्पादन (मि.0 ठन)	राजस्व (लाखों में)	बीज संग्रहण (लाखों में)
गोबिन्द सागर	314.58	64.72	20.54
पौंग डैम	210.93	80.39	13.00
चमेरा	3.12	0.83	3.04

रणजीत सागर	68.57	8.34	0.00
कोल डैम	8.24	1.62	9.63
<b>कुल:</b>	<b>605.44</b>	<b>155.90</b>	<b>46.21</b>

## (2) कार्प बीज उत्पादन:-


राज्य में पहले ही सात कार्प बीज फार्म, दयोली (जिला बिलासपुर), अल्सू (जिला मण्डी), नालागढ़ (जिला सोलन), दयोली गगरेट (जिला ऊना), कांगड़ा, सुल्तानपुर (जिला चम्बा) तथा मच्छ्याल (जिला मण्डी) में स्थापित किये गये हैं तथा नया कार्प फार्म बदरीपुर (पौंछा साहिब) जिला सिरमैर में स्थापित किया जा रहा है। मत्स्य बीज की बढ़ती मांग तथा राज्य में बहुतायत से पनबिजली परियोजनाओं के तैयार हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तम किस्म की मछली के बीज की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। इस प्रयोजन से सभी फार्मों पर प्रबन्धन की दृष्टि से आवश्यक फेर-बदल किया जाना चाहित था।

राज्य में 'महाशीर' मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मछली प्रजाति का हिमाचल के मत्स्य फार्म, मच्छ्याल (मण्डी) में सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है। जिससे मत्स्य आखेट को लाभ हो सके, इस वर्ष 93000 महाशीर मछलियों के अण्डों का उत्पादन किया गया। प्रदेश में मत्स्य क्रीड़ा को लचिकर बनाये रखने से पर्यटन विकास में वृद्धि की जानी संभव है। इसलिए प्रदेश के नदीय स्रोतों में मत्स्य बीज संग्रहित करना अतिआवश्यक है। महाशीर मछली प्रदेश के जलों की मूल मछली है। अतः प्रदेश के जलों को महाशीर मछली से भरपूर रखने के लिए इन जलों में फार्म से उत्पादित अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाशीर मछली के क्षुद्रमीनों को संग्रहित किया जाना आवश्यक है। इस वर्ष विभागीय कार्प बीज फार्मों से मार्च 2021 तक 666.76 लाख तथा निजी फार्मों से 13.00 लाख (कुल 679.76 लाख) बीज का उत्पादन किया गया है।

योजना का नाम	वर्ष 2020-21 का बजट प्रावधान	वर्ष 2020-21 में व्यय
कार्प बीज उत्पादन	140.54 लाख	138.88 लाख

### (क) विभागीय कार्प फार्म:

विभागीय कार्प फार्मों पर उत्पादित क्षुद्रमीनों का प्रतिशत विवरण इस प्रकार है:-



### कार्प बीज फार्म उत्पादन

क्रमांक	विभागीय कार्प फार्म का नाम	बीज उत्पादन (लाखों में)
1.	द्योली (बिलासपुर)	175.80
2.	अल्सू (मण्डी)	99.77
3.	कांगड़ा	8.16
4.	सुल्तानपुर (चम्बा)	70.10
5.	नालागढ़ (सोलन)	162.00
6.	गगरेट (ऊना)	150.00
7.	मच्छियाल (मण्डी)	0.93
	योग	666.76

### (ख) क्रीड़ा मात्स्यकी का प्रबन्धन एवं विकास:

विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने फार्मों के नवीनीकरण विस्तार एवं नए ट्राउट फार्मों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ट्राउट बीज का अधिक मात्रा में नदियों में संग्रहण किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रदेश में कार्यरत ट्राउट मत्स्य कृषकों की मांग को भी इन फार्मों से पूरा किया जा रहा है। इसलिए विभागीय ट्राउट फार्मों पतलीकूहल, हामनी, भान्डल, बरोट, सांगला तथा धमवाड़ी में नवीनतम तकनीक से ट्राउट मत्स्य पालन किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश बरसात के कारण जिला कुल्लू के पतलीकूहल नामक स्थान पर विभाग का सबसे बड़ा ट्राउट फार्म तथा जिला चम्बा में होली नामक ट्राउट फार्म पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। पतलीकूहल फार्म को वर्ष 2020-21 में पुनः कार्यशील कर दिया गया है तथा होली फार्म भी कार्यशील कर दिया जायेगा। इन फार्मों से उचित गुणवत्ता के बीज उत्पादन पर विभाग का विशेष ध्यान है ताकि निजी क्षेत्र में ट्राउट पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इस वर्ष 17.26 लाख ट्राउट बीज का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के बीज फार्मों से हुआ है। वर्ष 2020-21 में ट्राउट बीज की मांग को देखते हुए विभाग ने 10.00 लाख रेनबो ट्राउट आंख वाले अण्डे तथा 3.00 लाख ब्रांउन ट्राउट आंख वाले अण्डे डेनमार्क से भी आयात किए।

योजना का नाम	वर्ष 2020-21 का बजट प्रावधान	वर्ष 2020-21 में व्यय
ट्राउट बीज उत्पादन	138.31 लाख	137.61 लाख

### (ग) वाणिज्यिक ट्राउट उत्पादन:

राज्य के ऊपरी ठंडे क्षेत्रों में जल संसाधनों के दोहन तथा मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता से राज्य में ट्राउट कृषि परियोजना की शुरूआत वर्ष 1989 में की गई थी जो वर्ष 1998 में पूर्ण हो गई। जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक ट्राउट फार्म, हैचरी, रेनबो ट्राउट, ओवा का उत्पादन एवं विकास, स्थानीय तौर पर मिलने वाले घटकों से कृत्रिम आहार का उत्पादन तथा परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना में से सभी को पूर्ण कर

लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं को पार करते हुए रेनबो ट्राऊट बीज व आहार के उत्पादन तकनीक को विकसित कर लिया गया है जोकि कुछ ही राज्यों के पास उपलब्ध है। इस तकनीक को मत्स्य कृषकों तक पहुंचाने में भी विभाग द्वारा कार्य किया गया है। वर्ष 2020-21 में विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य बीज व आहार उत्पादन बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राऊट मत्स्य कृषकों को जोड़ना रहा है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष डेनमार्क से 10 लाख रेनबो ट्राऊट व 0.5 ब्राउन ट्राऊट के बीज का भी आयात किया गया है।

वर्ष 2020-21 में निजी ट्राऊट मत्स्य पालकों के फार्म से कुल 681.32 मीट्रिक टन ट्राऊट का उत्पादन हुआ जिसका मुल्य 3065.94 लाख रुपये है तथा यह उत्पादन वर्ष 2019-20 से 88.92 मीट्रिक टन अधिक है। विभागीय फार्म से भी 101.72 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

क्रंम संख्या	ट्राऊट फार्म का नाम	मत्स्य उत्पादन (टनों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
1.	पतलीकूहल (कुल्लू)	0.08	42.39
2.	हामनी (कुल्लू)	1.982	18.19
3.	बरोट (मण्डी)	2.30	19.60
4.	सांगला (किञ्चौर)	1.099	9.15
5.	धमवाड़ी (शिमला)	0.773	7.22
6.	थल्ला (चम्बा)	0.166	3.29
7.	भान्दल (चम्बा)	0.328	1.85
8.	होली (चम्बा)	0.00	0.02
	<b>कुल:-</b>	<b>6.73</b>	<b>101.72</b>

#### (घ) कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख-रखाव:

यह तथ्य सर्वमान्य है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में गोल्डन महाशीर मछली क्रीड़ा मात्रियकी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ प्राकृतिक कारणों एवं बीज उत्पादन प्रणाली के विकसित न होने के कारण प्रदेश के जलों में इस प्रजाति की

गुणात्मक और मात्रात्मक कमी हो रही है। प्रदेश के जलों में इस मछली की पुनर्स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के उपयुक्त जलों में इस प्रजाति के फार्म पर उत्पादित अंगुलिकाओं का उचित मात्रा में संग्रहण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला मण्डी के मछियाल नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित रकीम के अन्तर्गत एक महाशीर मछली बीज फार्म का निर्माण किया गया है।

योजना का नाम	वर्ष 2020-21 का बजट प्रावधान (लाखों में)	वर्ष 2020-21 में व्यय (लाखों में)
कार्प बीज फार्मो का विस्तार	16.68	16.66

### (इ) अनुसूचित जाति उप योजना:

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक स्तर ऊँचा करने में विशेष योगदान प्रदान करता है। व्यवसायिक मत्स्य पालन समाज के सभी कमजोर वर्गों की मूल आवश्यकता, उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। इस को मद्देनजर रखते हुए वार्षिक योजना 2020-21 में 468.35 लाख रुपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। जिसका निम्नलिखित विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

Budget sanctioned/expenditure incurred under Demand no-32 (SCSP) during financial year 2020-21											
Sr. No.	Detail of Scheme/S OEs	Original I/ Sanctioned Budget	Additio nal Budget	Revised Budget	Physical Targets (No./Ha.)	Compo nents of expenditure	GoI/GoHP Sanction/Director ate Endst. letter no /Date	Amount of Sanction	GoI Installment/ Budget Allotted	Expenditure as on dated:	Balance Budget
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>2405-00-789-02(SOON) Plan, Management and Development Carp Fish Farms.</b>										
i)	09-Adv. & publicity	200000	0	200000	10	Exhibition Stalls	Powers Delegated to DDO's at District Level	200000	0	199998	2
ii)	20-Other Charges	200000	0	200000	800	Trainings		200000	0	200000	0
iii)	36-Minor Works	500000	0	500000	5	Repair Work of CP	DDF Kullu surrendered Rs. 1.00 Lac	500000	0	400000	100000
iv)	63-Subsidy	500000	0	500000	100	Gillnets	Fish -F-(4)-2/2017,- II-III,dt.19/06/2020 & Dte.endst. no.FSH-F(3)-107/2019-TD-IX-5725-30, Dt 25/06/2020	500000	0	499996	4
(A)	Total:-	1400000	0	1400000	915			1400000	0	1299994	100006
2	<b>2405-00-789-03-Plan; RKVY ( Scheme has not been operated due to some administrative reasons at Nodal Department i.e. Agriculture Deptt.)</b>										

i)	63-Subsidy(C90N)	2200000	0	2200000	Budget surrendered			0	0	0	2200000
ii)	63-Subsidy(S10N)	300000	0	300000				0	0	0	300000
(B)	Total:-	2500000	0	2500000				0	0	0	2500000

3	2405-00-789-07-plan; CSS BLUE REVOLUTION SCHEME										
i)	20-Other Charges(C OON)	300000	0	300000		Adm. charges	Issued by DWF endst. No. Fish -F(3)-108/2019-TD-XII-210/2020,dated:21.08.2020	242185	242185	242185	57815
ii)	63-Subsidy(C90N)	10000000	3555000	13555000	0	Remining previous amount of various instts. received from GoI	1. GoI releas final Instt. against projects already during previous years to the tune of Rs. 13796590/- vide letter no. J.1203113/2018-Fy, dated:30.7.2020 2. GoHP issued sanction vide letter no. Fish-c(2)-5/2018, dated:16-10-2020 & directorate endst no. FSH-F(3)-108/2019-TD-XII-9234-45, dated: 19-10-2020 (CS Rs. 135.54405+ SS Rs. 15.06045) Lac only	13554405	13554405	13554405	595
iii)	63-Subsidy(S10N)	1200000	307000	1507000				1506045	0	1506045	955
iv)	63-Subsidy(C53N)	1600000	-1600000	0	The amount of C53N,S20N& S13N has been re-appropriated against respective sharing under PMMSY.			0	0	0	0
v)	63-Subsidy(S13N)	400000	-400000	0				0	0	0	0
vi)	63-Subsidy(S20N)	14000	-14000	0				0	0	0	0
(C)	Total:-	13514000	1848000	15362000	0	0	0	15302635	13796590	15302635	6.5

4	2405-00-789-08-(S50N) insurance of fishermen under PMJJBY									
	Subsidy (S50N)	264000	0	0	Budget surrendered due to non-finalization of PMJJBY for FY 2020-21				0	0

5	2405-00-789-09-(S65N)-Plan, Insurance of Trout Live Stock										
i)	63-Subsidy(S65N)	122000	0	122000	No. of ben= 07 & no. of receways covered under insurance =09	Trout live stock insurance premium	1. GoHP issued sanction for payment of 7 trout raceways vide Letter no. Fish-c(1)-2/2020, dated 19.06.2020 & endst no. FSH-F(3)-107/2019-TD-IX-5720-24, dated: 25.06.2020 2. GoHP sanction for payment of 2 trout raceways Letter no. Fish-c(1)-2/2020, dated 05.08.2020 & endst no. FSH-F(3)-108/2019-TD-XII-7104-08, dated: 07.08.2020, No. of ben= 07 & no. of receways covered under insurance=09	112173	0	112173	9827
(D)	Total:-	122000	0	122000	9			112173	0	112173	9827

6	2405-00-789-10-(C90N & S10N) Plan, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (CSS)									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i)	63-Subsidy(C9 0N)	0	15587400	15587400	64	Backyard ornamental fish rearing unit (FW)- Motor cycle with icebox-Mini fish feed mills 2.0 Ton/day-c/o bioflock ponds(10.0+4.00 Lac)- c/o small bioflock with 7 tanks(4x1.5)m2- c/o new rearing ponds (Nursery/seed rearing ponds)	1. GOI has released Ist instt. Under PMMSY amounting to Rs. 498000/- for SC beneficiary vide letter no.J- 1203113/04/2020-Fy.Dated : 09-09-2020 as center share. 2. GOI has released remaining balance of Ist instt. Under PMMSY amounting to Rs. 10607400/- for SC beneficiary vide letter no.J- 1203113/04/2020-Fy.Dated : 05-01-2021 as center share. 3. GoHP issued sanction vide No. Fish-C-(2)-5/2018, dt. 10/02/2021 & dte. ends. No FSH-F(3)-108/2019-TD-XII-2730-42, dt. 27-03-2021	15587400	15587400	15587400	0
ii)	63-Subsidy(S1 0N)	0	1731900	1731900				1731900	0	1731900	0
iii)	63-Subsidy(C5 3N)	0	3204000	3204000	1335	Close season assistance to 1335 reservoir fishermen	1. GOI has released close season assistance under PMMSY amounting to Rs. 3204000/- for SC beneficiary vide letter no.J- 1203113/04/2020-Fy.Dated : 20-02-2021 as center share.(1335 fishermen) 2. GoHP Letter no. Fish-C-(5)-1/2021, dated :26-03-2021 & endst no. FSH-F(5)-109/2021-TD-(PMMSY)-2722-29, dt.27-03-2021.	3204000	3204000	0	0
iv)	63-Subsidy(S1 3N)	0	801000	801000				801000	0	801000	0
v)	63-Subsidy(S2 0N)- PMBSY	0	14000	14000		Budget surrendered due to non-finalization of PMSBY		0	0	0	0
(E)	Total:-	0	21338300	21338300	1399			2.1E+07	1.9E+07	1.8E+07	0

4405-00-789-02-Buildings Fisheries, (SOON)-Plan ;

i)	37-Major work	12000000	0	12000000	2	1) c/o community center -cum - angling hut including all furnishing at Carp Fish Farm-Badripur,district. Sirmour Rs. 95.00 Lac only 2) c/o 05 fish rearing/nursery stocking Ponds at Carp fish farm Badripur Rs.25.00	1) GoHP No. Fish-C-(5)-1/2010-(14), dt. 05/10/2020 & Dte. ends. No FSH-F(3)-108/2014-TD-Badripur-8957-61,dated: 09.10.2020. 2)GoHP No. Fish-C-(5)-1/2010-Loose(14), dt. 03/10/2020 & Dte.ends. No FSH-F(3)-108/2014-TD-Badripur-8962-66,dated: 09.10.2020.	12000000	0	12000000	0
Total:-		12000000	0	12000000				1.2E+07	0	1.2E+07	0
G.Total:-		29800000	23186300	52722300				50139108	32587990	46835102	2609840

Close season Assistance during Financial year 2020-21 has been provided to 3556 (Gen-2102+ST-119+SC-1335) Fishermen of state reservoirs to the tune of Rs. 106.68 Lacs only.

### (च) जनजातीय क्षेत्र उप योजना:

हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्र में किन्नौर, लाहौल व स्पिति तथा चम्बा जिले के भरमौर व पांगी क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण क्षेत्रफल का 42.4 प्रतिशत है। जन जातीय क्षेत्र में सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाव के उपरी भाग आते हैं। जिनमें ट्राऊट पालन की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में अधिक ऊँचाई पर स्थित झीलें जैसे चंद्रताल (4000 मीटर), माने (4300 मीटर), नाको (4100 मीटर) इत्यादि हैं। इन झीलों में ट्राऊट का संग्रहण करके ट्राऊट पालन आरंभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र में 5 एकीकृत जनजातीय परियोजनाओं में से केवल एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर तथा लाहौल व स्पिति के लिए ही तीन मत्स्य अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर (थल्ला) में एक मत्स्य अधिकारी नियुक्त हैं तथा पांगी क्षेत्र में एक उप-निरीक्षक एवं मात्स्यकी क्षेत्रीय सहायक दैनिक वेतन भोगी आधार पर कार्यरत है। जनजातीय क्षेत्र में मत्स्य विकास को तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से वांछित गतिशीलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इस योजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के होली में ट्राऊट फार्म स्थापित किया गया है जो वर्ष 2018 के दौरान बरसात में बाढ़ आने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वर्ष के दौरान ट्राऊट बीज फार्म के उचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि छोटी-बड़ी सभी नदियों में ट्राऊट बीज की आवश्यकता को पूरा कर सके। चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र के जलों में ट्राऊट बीज की मांग को पूरा करने के लिए भरमौर क्षेत्र के होली तथा थल्ला नामक स्थान पर एक एक ट्राऊट फार्म बना दिया गया है। इस वर्ष इस स्कीम में केन्द्र सरकार से विशेष सहायता के रूप में स्वीकृत गैर जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जनजातीयों से सम्बन्धित इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए विभाग द्वारा मांग संख्या-31 के अन्तर्गत निम्न लिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

Budget sanctioned/expenditure incurred under Demand no-31(TASP) during financial year 2020-21											
Sr. No .	Detail of Scheme/SOE s	Original/ Sanctioned Budget	Add./Sur. Budget Rs.	Revised Budget Rs.	Physical Targets (No./Ha.)	Components of expenditure	Gol/GoHP Sanction/Directo rate Endst. letter no /Date	Amount of Sanction	Gol Instal lment	Expe ndit ure as on 31st Mar ch	Balance Budg et Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1)	2405-00-796-02(SOON) Plan												
ij)	05-Office Expenses	590000	415000	1005000	o	Budget allotted for meeting Expenses of office maintenance	Powers delegated to District Level DDO's i.e. all fisheries divisions	1005000	0	1005 000	0		
ii)	21-Maintenance	1800000	-1800000	0	o			0	0	0	0		
iii)	30-MV& POL etc.	380000	0	380000	o			277400	0	2774 00	10260 0		
iv)	31-M & Eqp.	40000	0	40000	o			40000	0	4000 0	0		
v)	33-M & S	490000	-301000	189000	o			116936	0	1169 36	72064		
(A)	Total:-	3300000	-2E+06	1614000	0			1439336	0	1439 336	17466 4		
2)	2405-00-796-03-A00S-Plan; Expenditure on fisheries under SCA in Chamba & Bhatiyat pockets												
i)	63-Subsidy(\$10N)	155000	153000	308000	12	C/o Fish ponds including input cost, area 0.05 Hac.	1. GoHP Letter no. Fish-F(4) -1/2017-11, Dt.17/06/2020 & Dte.endst.no FSH-F(3)-107/2019-TD-IX- 577-77, Dt.26/06/2020 for Rs. 1.53 Lac only 2. GoHP Letter no. Fish-F-C(1) -2/2020, Dt.22/01/2021 & Dte.endst.no FSH-F(3)-107/2019-TD-IX- 890-93, Dt.02/02/2021 for Rs. 1.53 Lac only of previous year unspent amount in Chamba district.	306000	30600 0	0	2000		
(B)	Total:-	155000	153000	308000	12	306000	30600 0	0	2000				
3)	2405-00-796-04(AOOS)-Plan ;Expenditure on fisheries under SCA (c/o Trout Raceways including input cost)												
i)	63-Subsidy	810000	540000	1350000	5	c/o Trout Raceways including input cost	1) GoHP Letter no. Fish-F(4) -1/2017-11, Dt.17/06/2020 & Dte.endst.no FSH-F(3)-107/2019-TD-IX- 577-81, Dt.26/06/2020 for an amount 8.10 Lac only. 2) GoHP Letter no. Fish-c-(1) -2/2020, Dt.22/01/2021 & Dte.endst.no FSH-F(3)-107/2019-TD-IX- 904-07, Dt.02/02/2021 for an amount 5.40 Lac only of previous year unspent amount in Chamba district.	1350000	13500 00	0	0		
(C)	Total:-	810000	540000	1350000	5	1350000	13500 00	0	0				
4)	2405-00-796-05-A00S-Plan; Expenditure on fisheries under SCA for disperse tribes (OTA)												
i)	63-Subsidy	255000	26000	281000	11	C/o Fish ponds including input cost, area 0.05 Hac	1. GoHP Letter no. Fish-(4) -1/2017-III, Dt.17/06/2020 & Dte.endst.no FSH-F(3)-107/2019-TD-XI- 578-92, Dt.26/06/2020 2.GoHP Letter no. Fish-C(1) -2/2020, Dt.22/01/2021 & Dte.endst.no FSH-F(3)-107/2019-TD-IX- 894-97, Dt.02/02/2021 for an amount Rs. 25500/- only of previous year unspent amount in Chamba district.	280500	28050 0	0	500		
(D)	Total:-	255000	26000	281000	11	280500	28050 0	0	500				
5)	2405-00-796-06-Plan; RKVY												
i)	63-Subsidy(C90N)	800000	0	800000	0	RKVY scheme has not been implemented due to some administrative reasons.	0	0	0	80000 0			
ii)	63-Subsidy(\$10N)	100000	0	100000			0	0	0	10000 0			
(E)	Total:-	900000	0	900000			0	0	0	90000 0			
6)	2405-00-796-07-plan; CSS BLUE REVOLUTION SCHEME												

i)	20-Other Charges(COON )	100000	0	100000	0	Adms. Charges	Dte.letter no's FSH-F(3)-107/2019-TD-IX-209/2020), Dt.21/08/2020	36450	36450	3645 0	63550
ii)	63-Subsidy(C90N)	2456000	6049000	8505000	0	Remining previous amount of various instts. Received from GoI	1. Gol has realased final Instt. of Blue Revolution scheme for development of fisheries in state for ST beneficiary vid letter no.J- 1203113/13/2018-Fy,Dated : 30-07-2020 for an amount Rs. 8541450/- as center share. 2. GoHP Letter no's. Fish-C-(1) -2/2020, Dt.13/10/2020 & Dte.endst.no FSH-F(3)- 107/2019-TD - IX- 9154-67, Dt.16/10/2020 for an amount Rs. 94.50 Lac only. 3. GoHP Letter no's. Fish-C-(1) -2/2020, Loose, Dt.22/01/2021 & Dte.endst.no FSH-F(3)- 107/2019-TD - IX- 898-903, Dt.02/02/2021 for an amount Rs. 3.66 Lac only of previous year state share for district-Kinnaur to Shimla	8505000	85050 00	8505 000	0
iii)	63-Subsidy(S10N)	200000	1111000	1311000	0			1311000	0	1311 000	0
iv)	63-Subsidy(C53N)	144000	-144000	0				0	0	0	0
v)	63-Subsidy(S13N)	30000	-30000	0				0	0	0	0
vi)	63-Subsidy(S20N)	2000	-2000	0				0	0	0	0
(F)	Total:-	2932000	6984000	9916000				9852450	85414 50	9852 450	63550
7)	<b>2405-00-796-08-plan; Insurance of Fishermen under PMJJBY</b>										
i)	63-Subsidy(S50N)	40000	0	40000	0		Budget surrendered due to non-finalization of PMJJBY at government of India level				
(G)	Total:-	40000	0	40000	0						
8)	<b>2405-00-796-09-(S65N)-Plan, Insurance of Trout Live Stock</b>										
i)	63-Subsidy(S65N)	108000	0	108000	1	No. of ben=01 & no. of receways covered under insurance=01	GoHP Letter no. Fish-c-(1)-2/2020, dated23.06.2020 & endst no. FSH-F(3)-107/2019-TD-IX-5741-45, dated: 02.07.2020- ,No. of ben = 01 & no. of receways covered under insurance=01	12464	0	1246 4	95536
(H)	Total:-	108000	0	108000	1			12464	0	1246 4	95536
9)	<b>2405-00-796-10-Plan, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (CSS)</b>										
i)	63-Subsidy(C90N)	0	8075400	8075400			1. GOI has realased Ist instt. Under PMMSY amounting to Rs. 2580000/- for ST beneficiary vide letter no.J- 1203113/04/2020-Fy,Dated : 09-09-2020 as center share.(3-beneficiaries) 2. GOI has realased Ist instt. Under PMMSY amounting to Rs. 5495400/- for ST beneficiary vide letter no.J- 1203113/04/2020-Fy,Dated : 05-01-2021 as center share.	8075400	80754 00	0	0
ii)	63-Subsidy(S10N)	0	897600	897600	35	c/o bioflock Rs.(10.00+4.00 Lac)-c/o small bioflock with 7 Tanks(4x1.5) m2-RAS large size for cold water with 10 tanks min 50 cubic meter.	3. GoHP Letter no. Fish-c-(2)-2/2017, L, dated 25-03-2021 & endst no. FSH-F(3)-107/2019-TD-IX-2701-08, dt.27-03-2021.	897300	0	8973 00	300

iii)	63-Subsidy(C53N)	0	285600	285600	119	Close season assistance to ST beneficiaries	1. GOI has released close season assistance under PMMSY amounting to Rs. 285600/- for ST beneficiary vide letter no.:J-1203113/04/2020-Fy, Dated : 20-02-2021 as center share.(119 fishermen) 2. GoHP Letter no. Fish-C-(2)-2/2017-L, dated 25-03-2021 & endst no. FSH-F(3)-109/2021-TD-(PMMSY)-2709-15, dt.27-03-2021.	285600	285600	0	0				
iv)	63-Subsidy(S13N)	0	72000	72000				71400	0	71400	600				
v)	63-Subsidy(S20N)	0	2000	2000	0	Budget surrendered due to non-finalization of PMSBY at government of India level									
I)	Total:-	0	9332600	9332600	154			9329700	83610 00	9687 00	900				
10)	<b>2415-01-796-06(SOON) PLAN</b>														
i)	42-GIA(non-salary)	500000	0	500000	0	Reserch work of fisheries to HPCSKV	GoHP Letter no. Fish-C-(4)-1/2017-III, Dt.19/06/2020 & Dte.endst.no FSH-F(3)-107/2019-TD-IX 5714-16, Dt.24/06/2020	500000	50000 0	0	50000 0				
J)	Total:-	500000	0	500000	0			500000	50000 0	0	50000 0				
Total:{A+B+C+D+E+F+G+H+I+J}	9000000	15349600	24349600	183				23070450	19338 950	12272 950	17371 50				

#### (छ) मात्स्यकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रौद्यौगिकी को बढ़ावा देना:

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को वर्ष 2020-21 में मु0 19.20 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी स्वीकृति प्रतिक्षित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य से सम्बन्धित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं को वैज्ञानिक आधार पर आधारित तकनीक द्वारा एकत्रित करना तथा किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन की क्षमताओं का आंकलन करना है।

#### (ज) मत्स्य अनुसंधान 'हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय':

मात्स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को मत्स्य अनुसंधान हेतु वर्ष 1981-82 से अनुदान प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को प्रदेश के विविध जलवायु के अनुरूप मत्स्य पालन हेतु तकनीक विकसित कर मछली रोगों की रोकथाम पर अनुसंधान का दायित्व दिया गया है, अनुसंधान कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः अनुदान प्रणाली आगामी वर्षों में भी जारी रखी जाएगी। इस वर्ष 5.00 लाख रुपये के प्रावधान से पूर्ण राशि विश्वविद्यालय को मार्च, 2021 तक अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

## विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

### (क) माहीगीर समूह दुर्घटना बीमा योजना :

प्रदेश के मछुआरों को मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर कमशः उनके आश्रितों या उनके अपने जीवनयापन के लिए इस नील कांन्ति मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फैंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों व मत्स्य पालकों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है। इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी है। बीमित माहीगीर की मृत्यु अथवा 100 प्रतिशत स्थाई विकलांगता की दशा में उसे/उसके आश्रितों को 5,00,000/- रुपये तथा आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में उसे 2,50,000/- रुपये दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा उपचार हेतु 25,000/- रुपये भी प्रदान किये जाते हैं।



### (ख) मछुआरा जोखिम निधि योजना:

मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किस्तियों और तम्बुओं से हाथ धोना पड़ता है। मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए “मछुआरा जोखिम निधि” की स्थापना की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त संयत्रों की मुरम्मत हेतु इन संयत्रों के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत भाग इनको मुरम्मत हेतु इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है। इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदर्य मछुआरा अनुज्ञाप्ति पत्र प्राप्त करते समय 20 रुपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है।

## (ग) जलाशय मछुआरों के लिए अशंदायी बन्द सीजन राहत योजना:

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक संबन्धन द्वारा वशंवृद्धि करने के लिए राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह वर्जित काल राज्य के सभी सार्वजनिक जलों में लागू है। इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द सीजन के समय बेरोजगार हो जाते हैं। जलाशय के इन मछुआरों को बन्द सीजन की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत एक अशंदायी आर्थिक सहायता स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाशयों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 150/- रूपये प्रतिमाह अपना अशंदान इस कोष में जमा करवाता है।

इस प्रकार से जमा कुल राशि में केन्द्र सरकार 2400/- रूपये प्रति माहीगीर और प्रदेश सरकार 600/- रूपये / माहीगीर अपना अशंदान जमा करते हैं। इस प्रकार से एकत्रित कुल अशंदान 4500/- रूपये प्रति माहीगीर को दो माह के मछली पकड़ने के बंद सीजन में कमशः 2250-2250/- रूपये वितरित किये जाते हैं। इस स्कीम में केवल वही माहीगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में संलिप्त नहीं होते हैं। वर्ष 2020-21 में 3556 मछुआरों को इस योजना के अधीन 106.68 लाख रु0 (106.68 Govt. & 53.54 Fishermen Share) वितरित किया गया है।

## नील कान्ति मिशन

### ○ नील कान्ति मिशन-एकीकृत मात्स्यकी विकास एवम् प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सके। इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा योजना प्रायोजित के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के जल संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। नील कान्ति मिशन प्रदेश में वर्ष 2016-17 में शुरू हुआ तथा इसका मुख्य लक्ष्य देश तथा प्रदेश में रहे रहे मछुआरों व मत्स्य पालकों का आर्थिक उत्थान् करना एवम् जल संसाधनों का पुर्ण एवम् सही उपयोग करके

भोजन तथा पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। मात्स्यकी क्षेत्र में भविष्य में उच्च सम्भावित विकास के मध्यनजर माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने इस क्षेत्र में एक कान्ति का अहवान किया है जिसे “नील कान्ति” नाम दिया गया है। नील कान्ति मिशन से मछुआरों एवं मत्स्य पालकों जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, की आय दुगुनी होने की अपेक्षा है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय के पशुपालन एवं दुग्ध तथा मात्स्यकी विभाग द्वारा भारत वर्ष में संचालित सभी योजनाओं का पुर्नगठन करके एक नई योजना के अधीन इनका क्रियनवयन किया जा रहा है जिसका नाम नील कान्ति मिशन है पुर्नगठित योजना का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों की मछली का उचित विकास एंव प्रबन्धन करना है। इस योजना के तहत सरकार तथा लाभार्थी के बीच में 40:60 अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है।

नीजि क्षेत्र में वाणिज्यिक रूपर पर ड्राइट मछली पालन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए राष्ट्रीय रूपर पर हिमाचल प्रदेश की विशेष पहचान है। नील कान्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान कुल व्यय राशि मु0 1610.64 लाख कर्मशः मु0 644.91, 811.55 और 154.18 लाख व्यय की गई। जिसके द्वारा राज्य में मत्स्य तालाबों (33.57 है0), रिटेल आउटलेट (03 इकाईयां), ड्राइट रेसवेज (479 इकाईयां), फीड मिलें (15 इकाईयां), ड्राइट व कार्प हैचरियां (28 इकाईयां), विभागीय कार्प फार्म नालागढ़ में RAS (Recalculating Aquaculture System) तथा ड्राइट फार्म पतलीकुहल में 01 ड्राइट प्रसरकरण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। जिससे राज्य के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं व अन्य वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस योजना के तहत राज्य के 400 जलाशय माहीगीरों को आवास प्रदान किए गए।

## प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई स्कीम प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2020-21 में प्रथम चरण में केन्द्रीय अनुदान सहायता के लिए भेजे गए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों में से भारत सरकार द्वारा मु0 4063.00 लाख की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

जिस में से ₹ 1877.99 लाख केन्द्र भाग, ₹ 208.67 लाख राज्य भाग तथा ₹ 1976.34 लाख लाभार्थी भाग है।

भारत सरकार ने स्वीकृत कुल केन्द्र भाग की राशि में से कुल ₹ 939.00 लाख रूपये (₹ 702.372 लाख सामान्य योजना, ₹ 155.874 लाख अनुसूचित जाति योजना तथा ₹ 80.754 लाख अनुसूचित जन-जाति योजना) की राशि जारी की है।

प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 की भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक घटक बाट स्वीकृति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

Sr. No.	Name of the Component	Category	Units	Unit Cost	Total Project Cost	Central Share	State Share	Beneficiary Share
A	<b>Beneficiary Oriented</b>							
1	Construction of New Ponds	General	8.00	8.40	67.20	24.19	2.69	40.32
		Women	6.00	8.40	50.40	27.22	3.02	20.16
		SC	4.00	8.40	33.60	9.07	1.01	6.72
		ST	2.00	8.40	16.80	18.11	2.02	13.44
		<b>Sub-Total</b>	<b>20.00</b>		<b>168.00</b>	<b>78.59</b>	<b>8.74</b>	<b>80.64</b>
2	Input Cost for New Grow-out Ponds	General	8.00	4.00	32.00	11.52	1.28	19.20
		Women	6.00	4.00	24.00	12.96	1.44	9.60
		SC	4.00	4.00	16.00	4.32	0.48	3.20
		ST	2.00	4.00	8.00	8.64	0.96	6.40
		<b>Sub-Total</b>	<b>20.00</b>		<b>80.00</b>	<b>37.44</b>	<b>4.16</b>	<b>38.40</b>
3	Construction of Trout Raceways in Private Sector	General	50.00	3.00	150.00	54.00	6.00	90.00
		Women	32.00	3.00	96.00	51.84	5.76	38.40
		SC	24.00	3.00	72.00	38.88	4.32	28.80
		ST	14.00	3.00	42.00	22.68	2.52	16.80
		<b>Sub-Total</b>	<b>120.00</b>		<b>360.00</b>	<b>167.40</b>	<b>18.60</b>	<b>174.00</b>
4	Input Cost for Trout Raceways	General	50.00	2.50	125.00	45.00	5.00	75.00
		Women	32.00	2.50	80.00	43.20	4.80	32.00
		SC	24.00	2.50	60.00	32.40	3.60	24.00
		ST	14.00	2.50	35.00	18.90	2.10	14.00
		<b>Sub-</b>	<b>120.00</b>		<b>300.00</b>	<b>139.50</b>	<b>15.50</b>	<b>145.00</b>

		<b>Total</b>						
<b>5</b>	<b>Construction of Fish Kiosks</b>	General	3.00	10.00	30.00	10.80	1.20	18.00
		Women	3.00	10.00	30.00	16.20	1.80	12.00
		SC	2.00	10.00	20.00	10.80	1.20	8.00
		ST	1.00	10.00	10.00	5.40	0.60	4.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>9.00</b>		<b>90.00</b>	<b>43.20</b>	<b>4.80</b>	<b>42.00</b>
<b>6</b>	<b>Backyard Ornamental fish Rearing Unit (Fresh Water)</b>	SC	1.00	3.00	3.00	1.62	0.18	1.20
		<b>Sub-Total</b>	<b>1.00</b>		<b>3.00</b>	<b>1.62</b>	<b>0.18</b>	<b>1.20</b>
<b>7</b>	<b>Medium Scale Ornamental Fish Rearing Unit (Fresh Water)</b>	Women	1.00	8.00	8.00	4.32	0.48	3.20
		<b>Sub-Total</b>	<b>1.00</b>		<b>8.00</b>	<b>4.32</b>	<b>0.48</b>	<b>3.20</b>
<b>8</b>	<b>Establishment of Medium Biofloc culture system(25 tanks of 4m dia and 1.5m high)</b>	General	2.00	25.00	50.00	18.00	2.00	30.00
		Women	1.00	25.00	25.00	13.50	1.50	10.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>3.00</b>		<b>75.00</b>	<b>31.50</b>	<b>3.50</b>	<b>40.00</b>
<b>9</b>	<b>Refrigerated Vehicle</b>	General	1.00	25.00	25.00	9.00	1.00	15.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>1.00</b>		<b>25.00</b>	<b>9.00</b>	<b>1.00</b>	<b>15.00</b>
<b>10</b>	<b>Motor Cycle with ice Box</b>	General	40.00	0.75	30.00	10.80	1.20	18.00
		Women	30.00	0.75	22.50	12.15	1.35	9.00
		SC	20.00	0.75	15.00	8.10	0.90	6.00
		ST	10.00	0.75	7.50	4.05	0.45	3.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>100.00</b>		<b>75.00</b>	<b>35.10</b>	<b>3.90</b>	<b>36.00</b>
<b>11</b>	<b>Three Wheeler with Ice Box</b>	General	4.00	3.00	12.00	4.32	0.48	7.20
		Women	3.00	3.00	9.00	4.86	0.54	3.60
		SC	2.00	3.00	6.00	3.24	0.36	2.40
		ST	1.00	3.00	3.00	1.62	0.18	1.20
		<b>Sub-Total</b>	<b>10.00</b>		<b>30.00</b>	<b>14.04</b>	<b>1.56</b>	<b>14.40</b>
<b>12</b>	<b>Providing Boats and nets for traditional Reservoir Fishermen</b>	General	250.00	2.00	500.00	180.00	20.00	300.00
		Women	88.00	2.00	176.00	95.04	10.56	70.40
		SC	142.00	2.00	284.00	153.36	17.04	113.60
		ST	20.00	2.00	40.00	21.60	2.40	16.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>500.00</b>		<b>1000.00</b>	<b>450.00</b>	<b>50.00</b>	<b>500.00</b>
<b>13</b>	<b>Mini Fish Feed Mills of Production Capacity of 2 ton/day</b>	General	3.00	30.00	90.00	32.40	3.60	54.00
		Women	2.00	30.00	60.00	32.40	3.60	24.00
		SC	1.00	30.00	30.00	16.20	1.80	12.00
		ST	1.00	30.00	30.00	16.20	1.80	12.00

		<b>Sub- Total</b>	<b>7.00</b>		<b>210.00</b>	<b>97.20</b>	<b>10.80</b>	<b>102.00</b>
14	<b>Ice plant of 10 ton Capacity</b>	General	3.00	40.00	120.00	43.20	4.80	72.00
		Women	1.00	40.00	40.00	21.60	2.40	16.00
		SC	1.00	40.00	40.00	21.60	2.40	16.00
		ST	1.00	40.00	40.00	21.60	2.40	16.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>6.00</b>		<b>240.00</b>	<b>108.00</b>	<b>12.00</b>	<b>120.00</b>
15	<b>Insulated Vehicles</b>	General	4.00	20.00	80.00	28.80	3.20	48.00
		Women	1.00	20.00	20.00	10.80	1.20	8.00
		SC	1.00	20.00	20.00	10.80	1.20	8.00
		ST	1.00	20.00	20.00	10.80	1.20	8.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>7.00</b>		<b>140.00</b>	<b>61.20</b>	<b>6.80</b>	<b>72.00</b>
16	<b>Establishment of New Freshwater Finfish hatcheries</b>	General	1.00	25.00	25.00	9.00	1.00	15.00
		Women	1.00	25.00	25.00	13.50	1.50	10.00
		SC	1.00	25.00	25.00	13.50	1.50	10.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>3.00</b>		<b>75.00</b>	<b>36.00</b>	<b>4.00</b>	<b>35.00</b>
17	<b>Establishment of Trout Fish Hatcheries (Only for Beneficiary not State Hatcheries)</b>	Women	1.00	50.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		SC	1.00	50.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		ST	1.00	50.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>3.00</b>		<b>150.00</b>	<b>81.00</b>	<b>9.00</b>	<b>60.00</b>
18	<b>Construction of Cold Storage -50 ton Capacity</b>	General	1.00	150.00	150.00	54.00	6.00	90.00
		Women	1.00	150.00	150.00	81.00	9.00	60.00
		SC	1.00	150.00	150.00	81.00	9.00	60.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>3.00</b>		<b>450.00</b>	<b>216.00</b>	<b>24.00</b>	<b>210.00</b>
19	<b>Construction of New Rearing ponds (Nursery / Seed rearing pond)</b>	General	2.00	7.00	14.00	5.04	0.56	8.40
		Women	1.50	7.00	10.50	5.67	0.63	4.20
		SC	1.00	7.00	7.00	3.78	0.42	2.80
		ST	0.50	7.00	3.50	1.89	0.21	1.40
		<b>Sub- Total</b>	<b>5.00</b>		<b>35.00</b>	<b>16.38</b>	<b>1.82</b>	<b>16.80</b>
20	<b>Construction of Biofloc Ponds for Fresh water areas Including Input Cost of Rs. 4 lakh/ Ha</b>	General	4.00	14.00	56.00	20.16	2.24	33.60
		Women	3.00	14.00	42.00	22.68	2.52	16.80
		SC	2.00	14.00	28.00	15.12	1.68	11.20
		ST	1.00	14.00	14.00	7.56	0.84	5.60
		<b>Sub- Total</b>	<b>10.00</b>		<b>140.00</b>	<b>65.52</b>	<b>7.28</b>	<b>67.20</b>
21	<b>Establishment of Small Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system</b>	General	5.00	7.50	37.50	13.50	1.50	22.50
		Women	4.00	7.50	30.00	16.20	1.80	12.00
		SC	2.00	7.50	15.00	8.10	0.90	6.00

		ST	1.00	7.50	7.50	4.05	0.45	3.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>12.00</b>		<b>90.00</b>	<b>41.85</b>	<b>4.65</b>	<b>43.50</b>
22	Establishment of large RAS for Cold water fisheries (With 10 tanks of minimum 50 m <sup>3</sup> /tank capacity and fish production capacity of 10 ton/crop)	Women	1.00	50.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		ST	1.00	50.00	50.00	27.00	3.00	20.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>2.00</b>		<b>100.00</b>	<b>54.00</b>	<b>6.00</b>	<b>40.00</b>
23	Large mills of Production Capacity of 20 ton/day	General	1.00	200.00	200.00	72.00	8.00	120.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>1.00</b>		<b>200.00</b>	<b>72.00</b>	<b>8.00</b>	<b>120.00</b>
	<b>Sub-Total (A)</b>				<b>4044.00</b>	<b>1860.89</b>	<b>206.77</b>	<b>1976.34</b>
<b>B</b>	<b>Non- Beneficiary</b>							
	Support to States for Import of germ Plasm	Non Beneficiary	1	Rs. 5 per RT and Rs. 3 per BT	19.00	17.10	1.90	0.00
	<b>Total (A+B)</b>				<b>4063.00</b>	<b>1877.99</b>	<b>208.67</b>	<b>1976.34</b>

## 10

### प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार

- **ई-समाधान:** मत्स्य विभाग में ई-समाधान प्रणाली को आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष में ई-समाधान के अन्तर्गत जो शिकायतें प्राप्त हुई उन सभी का निपटारा कर दिया गया है।
- **ई-सर्विस:** कार्यालय प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग में ई-सर्विस प्रणाली भी आरम्भ कर दी गई है व इस कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
- **ई-लाइसेंस:** इस सेवा से राज्य तथा राज्य के बाहर व विदेशों से आने वाले एंगलर पर्यटकों को उनके घर पर ही बिना किसी असुविधा के लाइसेंस उपलब्ध करवाया जाता है।

## वर्ष 2020-21 के वित्तीय प्रावधान

## (i) वित्तीय प्रावधान:

क्रं०	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2020-21 के वित्तीय प्रावधान (रुपि लाख में)
1.	निदेशन एवं प्रशासन	17.00
2.	जलाशय मात्रिकी का विकास एवं प्रबन्ध	
	(a) जलाशय संरक्षण	0.00
	(b) मत्स्य बीज उत्पादन	140.54
3.	कीड़ा मात्रिकी का विकास एवं रख-रखाव (ट्राउट बीज फार्म)	138.31
4.	कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख-रखाव	16.68
5.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	1.50
6.	800- अन्य व्यय	
	(a) मछुआरों का रिस्क फण्ड	3.00
	(b) मछुआरों का कल्याण SCSP	..
	(c) मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना	..
7.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	97.33
8.	अन्तः स्थलीय मत्स्य सांचियकी का प्रबन्ध एवं विकास (केन्द्रीय योजना)	18.75
9.	एकीकृत मत्स्य विकास एवं प्रबन्धन (नील कान्ति मिशन)	242.31

10.	PMMSY	843.48
11.	अनुसूचित जाति उप योजना	444.69
12.	जनजातीय उप योजना	68.42
	कुल योग :-	2032.01

## 12

सूचना का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 खण्ड 4 (1) (बी) के अन्तर्गत सूचना

(i) विभाग के कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतारी;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदीनालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातीयों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना, विशेषतः ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन;

- मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातीयों के सम्बर्धन को बढ़ावा देना

### कर्तव्य :-

ऊपर कहे गये विभाग के सभी कायों के लिए योजनाओं की व्यवस्था करना और हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 1979 को लागू करना।

### (ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:

#### अधिकारियों की शक्तियां:-

अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड-I और खण्ड-II में की गई है। अन्य कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य कार्यालय पुस्तिका में समय-समय पर संसोधन कर विचार-विमर्श करके हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार कार्यालय पुस्तिका में जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग के पत्र संख्या-Fin-F(A)-(II)-11/2004 Dated 3<sup>rd</sup> June 2014, के अनुसार वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी को नियुक्त कर दिया है।

क्र.सं.	अधिकारों के प्रकार	अधिकारी जिसको अधिकार सौंपा गया है।	अधिकार की सीमा
कार्यालय स्रोत			
1.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की देखभाल	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक मत्स्य निदेशक	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

2.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की खरीद	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
3.	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत सेवा प्रदाता को सेवाओं के बाहरी स्रोत से सेवाएं प्रदान करने हेतु भुगतान करना	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
4.	स्थानीय स्टेशनरी की छोटी-मोटी खरीद	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

## 1. मोटर वाहन

1.	मुरम्मत, अतिरिक्त सामान और उपयोग करने योग्य साधनों के लिए	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
2.	पी.ओ.एल. के लिए	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

## 2. सामग्री और आपूर्ति

1.	मत्स्य आहार, मछली पकड़ने के उपकरण और अन्य उपकरण	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शशर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
----	---	--	---

### 3. रख-रखाव

1.	इस मद में मुरम्मत व रख-रखाव में हुए व्यय को शामिल किया गया है। जिसमें मजदूरी व सामग्री भी सम्मिलित है।	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शशर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
		समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शशर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

### 4. मशीनरी और उपकरण

1.	गैर उपभोगीय वस्तुएं जैसे फार्मो में प्रयोग होने वाले मछली जाल, अन्य संयत्र व उपकरण	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शशर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
----	--	--------------------------------	---

## अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

### **निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेशः**

- ❖ विभाग का मुख्यिया
- ❖ राज्य में अन्तर्देशीय मात्रियकी, जलाशय मात्रियकी और शीत जल एक्चाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाना
- ❖ मछुआरों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना मछुआरों की सहायता करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजनाएं बनाना, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार और विकासशील योजनाओं की व्यवस्था करना और कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना
- ❖ राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करना
- ❖ योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखना
- ❖ बजट और लक्ष्यों का आबंटन
- ❖ चल रहे नये कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना
- ❖ आर.टी.आई. के अन्तर्गत मत्स्य विभाग का पहला appellant अधिकारी।

### **उप-निदेशक मत्स्यः**

- ❖ विभिन्न प्रकार की योजनाओं और स्कीमों को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना
- ❖ निदेशक मत्स्य के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना
- ❖ उनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मत्स्य स्कीमों के बजट पर नियन्त्रण
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा आहरण एवं वितरण अधिकारी स्टाफ उनके अधीन
- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनिकी और प्रशासनिक नियन्त्रण और स्टाफ के कार्य पर उनका नियन्त्रण
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना

- ❖ सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त

### **सहायक निदेशक मत्स्यः**

- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनिकी/प्रशासनिक नियन्त्रण तथा स्टाफ के कार्य का नियन्त्रण
- ❖ मत्स्य निदेशक के द्वारा चिह्नित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना
- ❖ अपने अधीन विभिन्न प्रकार की मत्स्य योजनाओं का बजट पर नियन्त्रण
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा स्टाफ उनके अधीन
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- ❖ पन विद्युत परियोजनाओं का उनके क्षेत्रों पर प्रभाव का मूल्यांकन तथा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना
- ❖ मछली पालकों को उच्च गुणवता की मछली बीज आपूर्ति करना और तकनिकी सहायता देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 1979 को लागू करना
- ❖ मछुआरों को लाईसेंस जारी करना
- ❖ आर.टी.आई. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त।

### **वरिष्ठ मत्स्य अधिकारीः**

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना
- ❖ कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को कियान्वित करना
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न उपदान मसलों को कियान्वित करना
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना
- ❖ इनके व्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना

- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनिकी सहायता मुहैया करना
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

### **मत्स्य अधिकारी:**

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना
- ❖ अन्तः स्थलीय मात्स्यकी, जलाशय मात्स्यकी तथा शीत जल एक्चाकल्चर का प्रबन्धन एवं विकास
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न उपदान मसलों को क्रियान्वित करना
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना
- ❖ इनके व्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना
- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनिकी सहायता मुहैया करना
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

### **उप-निरीक्षक मत्स्य:**

- ❖ अवतरण केन्द्रों पर आने वाली मछली का विवरण रखना
- ❖ मत्स्य अधिनियम व नियमों को लागू करना
- ❖ मत्स्य अधिकारी तथा वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी को मत्स्य फार्मों या हैचरी के प्रबन्धन में सहायता करना।

### **क्षेत्रीय सहायक/मत्स्यजीवि:**

- ❖ नदीय व मात्स्यकी का संरक्षण

- ❖ अवैध मत्स्य आख्रेट व विक्रय को रोकना
- ❖ विभागीय एक्चाकल्चर योजनाओं का विस्तार कार्य करना
- ❖ मत्स्य फार्मों का रख-रखाव, जलापूर्ति, आहार, मछली की विक्री, टैकों या रेसवे की सफाई अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य।

### **फार्म सहायक:**

- ❖ मत्स्य पालन पर मत्स्य धन की देख-रेख
- ❖ मछली के आहार एवं प्रजनन में सहायता
- ❖ मछली बीज इत्यादि की पैकिंग
- ❖ फार्मों पर नियुक्त मत्स्यजीवियों अथवा क्षेत्रीय सहायकों के कार्यों का निरीक्षण।

### **विभागीय आहार संयन्त्र मकैनिक:**

- ❖ विभागीय आहार संयन्त्र को चलाना जो ड्राऊट फीड उत्पादन हेतु प्रयोग की जाए
- ❖ आहार संयन्त्र की छोटी-मोटी मुरम्मत।

### **पम्प ऑपरेटर/हैल्पर:**

- ❖ फार्म की जलापूर्ति बनाये रखने के लिए पानी के पम्पों को सुचारू रूप से चलाना
- ❖ फार्म की मशीनरी को चलाने के लिए मकैनिक की सहायता करना।

### **अधीक्षक ग्रेड-1:**

- ❖ प्रशासनिक शाखा से सम्बन्धित सभी कार्यों का निरीक्षण
- ❖ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालक सहित कार्य नियुक्त करना तथा इनके कार्यों का निरीक्षण करना
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि सभी डीलिंग हैंड तथा डायरिस्ट सभी रजिस्टरों को बनाये रखें तथा समय में अपडेट करते रहें
- ❖ विभिन्न शाखाओं तथा उच्च अधिकारियों के बीच आने जाने वाली डाक व फाइलों पर नजर रखना

- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए।

### **अधीक्षक घेड-II:**

- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए।

### **निजी सहायक:**

- ❖ निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की बैठकों का विवरण रखना
- ❖ निदेशक के फोन कॉल को लेना
- ❖ निदेशक द्वारा दिया गया श्रुति लेखन
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा दिये गये अन्य कार्य प्रभार।

### **वरिष्ठ सहायक:**

- ❖ नस्तियों को खोलना व कायम रखना, नस्तियों की नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा रिकॉर्डिंग देखना, अपनी सम्बन्धित शाखा के विभिन्न रजिस्टरों को बनाये रखना तथा उनका डाटा अपडेट करना
- ❖ भर्ती या पदोन्नति नियमों, सेवा पुस्तिका का रख-रखाव, लीव अकाउन्ट का सर्विस रिकॉर्ड तैयार करना, पैंशन कागजात तैयार करना, अनुशासनात्मक मामलों तथा निजी नस्तियों इत्यादि सहित स्थापना मामले
- ❖ तकनिकी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों की आय स्थायीकरण नियुक्ति, स्थानान्तरण, वरिष्ठता सुनिश्चित् करना तथा ए.सी.पी. के मामले, कोर्ट मामले तथा अन्य मिश्रित मामले।

### **सांचिकी सहायक:**

- ❖ सांचिकी शाखा से सम्बन्धित सभी कार्य
- ❖ मत्स्य से सम्बन्धित सभी प्रतिवेदनों का चुक्तिकरण

- ❖ विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

### **वरिष्ठ आशुलिपिक/आशुटंकक:**

- ❖ अधिकारियों द्वारा दिया गया श्रुति लेखन व टंकण कार्य
- ❖ विभाग का अन्य टंकण कार्य
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

### **कनिष्ठ सहायक:**

- ❖ उन्हें सौंपा गया सभी टंकण कार्य
- ❖ सूचना/रिपोर्ट तैयार करने में तथा रजिस्टरों को रखने में वरिष्ठ सहायक की सहायता करना
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य

### **कार्यवाहक:**

- ❖ कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में नस्तियों का लाना ले जाना
- ❖ अन्य स्थानीय कार्यालयों में सम्बन्धित पत्रों को पहुंचाना
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

(iii) नियीक्षण और जवाबदेही सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुकरणीय कार्यप्रणाली / प्रक्रिया :-

विभाग द्वारा कियान्वित योजनाएं राज्य सरकार के व्यय की वार्षिक सूची में प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सभी प्रस्तावों को सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद ही वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। कियान्वित योजनाएं निम्नलिखित हैं।

#### **❖ एक्चाकल्चर योजना :-**

सभी पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों, राज्य तथा जिला स्तरीय मेलों की प्रदर्शनियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से योजनाओं को प्रचारित किया जाता है। मत्स्य क्षेत्रीय सहायक मामलों को कियान्वित करने में सहायक होता है तथा उसके बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी

/सहायक निदेशक मत्स्य भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करने के बाद उस स्थान का निरीक्षण करता है। अनुमान पत्र जूनियर इंजीनियर के द्वारा तैयार किये जाते हैं। वित्तीय सहायता काम की प्रगति और प्रावधान के अनुसार जारी की जाती है।

निर्माण कार्य विभाग / लोक निर्माण विभाग / ब्लॉक के जूनियर इंजीनियर द्वारा अन्तिम रूप से जांचा जाता है और अन्तिम भुगतान काम के पूरा होने के पश्चात् अनुमान के अनुसार जारी किया जाता है।

जूनियर इंजीनियर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है, इसके साथ-साथ कार्य में किसी भी प्रकार की हानि या अवनति के लिए क्षेत्र के सहायक निदेशक मत्स्य / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / मत्स्य अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

#### ❖ मछुआरा कल्याणकारी योजनाएँ :-

सभा तथा क्षेत्र के लैण्डिंग केन्द्र के मत्स्य अधिकारी के सुझाव के बाद जलाशयों में मछुआरों की पहचान मछुआरा सहकारी समीति के स्तर पर की जाती है। आवेदन सुझावों के साथ सम्बन्धित जलाशय के सहायक निदेशक मत्स्य को प्रेषित किये जाते हैं।

❖ गिल नैट और कास्ट नैट इत्यादि के रेट / फर्म का अनुमोदन राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा निविदाएँ आमन्त्रित करके निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय खरीद कमेटी द्वारा किया जाता है। आपूर्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के द्वारा मछुआरों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर्ता को दिया जाता है और सामग्री सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा जांच करके प्राप्त की जाती है और तब इसको मत्स्य अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित मछुआरों को वितरित किया जाता है।

❖ इसी प्रकार योजना के तहत प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को कियान्वित किया जा रहा है।

❖ कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में किसी भी हानि या चूक के लिए सभी सम्बन्धित जवाबदेह हैं।

#### (iv) अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड :-

विभाग द्वारा कियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार विभागीय कार्यों का निर्वाहन किया जाता है :-

- ❖ निदेशालय विभिन्न स्कीमों और योजनाओं के अन्तर्गत सभी नियन्त्रित अधिकारियों के लक्ष्य और बजट आंबटि बजट करता है। उपलब्धि बजट उपयोगिता, मछली उत्पादन, बीज उत्पादन, राजस्व और रोजगार वृद्धि लक्ष्य के सन्दर्भ में प्रगति की समीक्षा द्वारा आंकी जाती है।
- ❖ फार्म प्रभारी (मत्स्य अधिकारी/विरिष्ट मत्स्य अधिकारी) फार्म के लिए निर्धारित मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। बीज जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राज्य के मत्स्य उत्पादकों को बेचा जाता है। इन फार्म प्रभारियों के लिए भी मछली उत्पादन ऐसे कार्य और साथ ही ड्राइट उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- ❖ इसी प्रकार जलाशय के प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य को राज्य के मत्स्य उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मछली उत्पादन का लक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- ❖ मछली उत्पादन के लक्ष्यों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला मुखिया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए साल के लिए निर्धारित इम्प्लाईमेन्ट जनरेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है।

(v) कार्यों के निर्वाहन के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयोग करने अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने हेतु नियम, व्यवस्था, निर्देश, पुस्तकें अथवा रिकार्ड :

अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए विभागिय कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित नियम व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती हैं।

- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020
- ❖ सी.सी.एस. अवकाश नियम
- ❖ सी.सी.एस. और सी.सी.ए. नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. नियम और कोष नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. और एस.आर. नियम
- ❖ मैडिकल उपस्थिति नियम
- ❖ सामान्य वित्तीय नियम
- ❖ एच.बी. एडवांस नियम

- ❖ वित्तीय शक्तियों का आबंटन
- ❖ छुट्टी यात्रा रियायत नियम
- ❖ बजट पुस्तिका
- ❖ कार्यालय पुस्तिका
- ❖ वाहन नियम
- ❖ पैशांन नियम
- ❖ जी.पी.एफ. नियम

(vi) विभाग द्वारा अथवा इसके नियंत्रण के अन्तर्गत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्य में उपयुक्त होने वाले दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियों का उचित विवरण, जो इसके नियन्त्रण में हैं, निम्न प्रकार से है :-

**खाता :**

- ❖ मासिक लेखा
- ❖ व्यय विवरणी
- ❖ रोकड़ वही
- ❖ रसीद बुक
- ❖ चैक बुक
- ❖ बजट नस्ति
- ❖ सी.ए.जी की रिपोर्ट
- ❖ लेखा परीक्षा रिपोर्ट

**स्थापना :**

- ❖ डाक प्राप्ति / प्रेषण रजिस्टर
- ❖ आकस्मिक छुट्टी लेखा रजिस्टर
- ❖ हाजरी पंजिका
- ❖ कर्मचारी सेवा पुस्तिका
- ❖ कर्मचारी विवरणी की सूची

## विविध :

- ❖ सरकार के द्वाया विभिन्न योजनाओं और खीमों के अन्तर्गत वार्षिक बजट की पुस्तिका को निर्धारित करना
- ❖ विभाग में प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत मुख्य कार्यों की सूची बनाना
- ❖ विभाग में कार्यान्वयन के तहत मछुआरों और मत्स्यजीवियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम और नियम
- ❖ विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- ❖ नस्तियों के प्रधान रजिस्टर
- ❖ वाहनों की लॉग बुक
- ❖ डाक टिकट रजिस्टर
- ❖ विधानसभा और संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नस्तियां
- ❖ विधान सभा समीति की रिपोर्ट

उपरोक्त दस्तावेज, आदेशों की पुस्तिका, विशेष वर्णन, नियमावली निदेशालय के साथ / समस्त उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालयों में सहज ही उपलब्ध है।

**(vii) विभागिय नीतियों अथवा उस पर कार्यान्वयन व्यवस्था के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों द्वाया परामर्श अथवा प्रस्तुतिकरण के लिए किसी व्यवस्था का विस्तृत विवरण:**

विभाग की वैब साइट [www.hpfisheries.nic.in](http://www.hpfisheries.nic.in) सामान्य जनता के लिए जानकारी प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है और विभाग द्वाया चलाई जा रही नीतियों दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करती है। माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता के तहत सभी विधायकों के साथ “राज्य स्तर की योजना बैठक” प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। विभाग भी सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करता है जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) से कार्यकर्मों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए जाते हैं, जिला स्तर 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति और सिकायत समिति का गठन भी सरकार के द्वाया किया

गया है जिनमें जनता के प्रतिनिधियों की सदस्यता है और त्रैमासिक बैठकें जिला स्तर पर होती हैं।

(viii) दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जो परामर्श के उद्देश्य से विभाग के एक भाग के रूप में गठित हो सकते हैं इन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें समय के अनुसार सार्वजनिक जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के प्रारूप जनता के लिए प्राप्त करने योग्य होते हैं अथवा नहीं :-

निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:-

#### शीर्ष समितियां :

- (a) जलाशय विकास समिति
- (b) जल-विद्युत परियोजना के लिए अन्तर्जाल प्रमाण पत्र समिति

#### निदेशालय स्तर की समितियां :

- (a) सामग्री खरीद समिति
- (b) विभागीय पदोन्नति समिति
- (c) जोखिम निधि समिति

#### जिला स्तर की समिति :

- (a) सामग्री खरीद समिति

उपरोक्त सभी समितियों की बैठकों के साथ-साथ उनके प्रारूप विभागीय पदोन्नति समिति के अलावा सार्वजनिक जनता के लिए प्राप्त हैं।

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की विवरणी :

क्रं.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	0 1	0 1	0
2.	उप-निदेशक मत्स्य	0 2	0 2	0
3.	सहायक अभियंता (सिविल)	0 1	0	0 1

4.	अधीक्षक ग्रेड-1	0 1	0 1	0
	<b>जोड़</b>	<b>0 5</b>	<b>0 4</b>	<b>0 1</b>
5.	सहायक निदेशक मत्स्य	1 1	0 7	0 4
6.	अनुभाग अधिकारी(एस.ए.एस)	0 1	0	0 1
7.	अधीक्षक ग्रेड-II	0 4	0 4	0
8.	निजी सहायक	0 1	0 1	0
	<b>जोड़</b>	<b>1 7</b>	<b>1 2</b>	<b>0 5</b>
9.	जूनियर अभियंता (सिविल)	0 2	0 2	0
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	0 7	0 7	0
11.	मत्स्य अधिकारी	3 3	2 0	1 3
12.	वरिष्ठ सहायक	0 9	0 9	0
13.	सांचिक्यकी सहायक	0 2	0 2	0
14.	वरिष्ठ आशु लिपिक	0 1	0	0 1
15.	उप-निरीक्षक मत्स्य	1 7	1 5	0 2
16.	आशु टंकक	0 1	0 1	0
17.	जूनियर असिस्टेंट/लिपिक	2 1	1 6	0 5
18.	कार्यालय कनिष्ठ सहायक (आई० टी०)	1 8	0 2	1 6
19.	फार्म सहायक	1 5	1 5	0
20.	चालक	0 9	0 5	0 4
21.	मोटर बोट चालक	0 4	0 4	0
22.	मकैनिक (ऑटो)	0 1	0 1	0
23.	सेल मैन/लिपिक	0 1	0	0 1
24.	फीड मील मकैनिक	0 1	0 1	0
25.	पम्प ऑपरेटर	0 1	0 1	0
	<b>जोड़</b>	<b>1 4 3</b>	<b>1 0 1</b>	<b>4 2</b>
26.	क्षेत्रीय सहायक	1 4 0	7 1	6 9
27.	मत्स्यजीवी	5 2	4 3	0 9
28.	फिल्डमैन (Fieldman)	0 3	0	0 3
29.	कार्यवाहक	2 2	2 1	0 1
30.	चौकीदार	1 4	1 3	0 1

31.	चौकीदार-एवं-सफाई कर्मचारी	01	0	01
32.	क्लीनर	01	0	01
33	स्वीपर	01	0	01
	जोड़	234	148	86
	अंतिम जोड़	399	265	134

(x) मौजूदा नियमों के अनुसार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सहित प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त वेतन :-

कं.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	01.01.1996 के अनुसार वेतनमान	01.01.2006 के अनुसार वेतनमान	वेतन बन्धन
--------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------

#### श्रेणी-I

1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	14300-18600	37400-67000	8700
2.	उप-निदेशक मत्स्य	7880-11660	10300-34800	5400
3.	सहायक अभियंता(सिविल)	7880-11660	10300-34800	5400
4.	अधीक्षक ग्रेड-1	7220-11660	15600-39100	5400

#### श्रेणी-II

5.	सहायक निदेशक मत्स्य	7000-10980	10300-34800	4400
6.	अनुभाग अधिकारी (एस.ए.एस.)	7000-10980	10300-34800	5000
7.	अधीक्षक ग्रेड-II	6400-10640	10300-34800	4800
8.	निजी सहायक	6400-10640	10300-34800	4800

#### श्रेणी-III

9.	जूनियर अभियंता (सिविल)	5800-9200	10300-34800	3800
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	5800-9200	10300-34800	3800
11.	मत्स्य अधिकारी	5480-8925	10300-34800	3600
12.	वरिष्ठ सहायक	5800-9200	10300-34800	4400

13.	सांच्चिकी सहायक	5480-8925	10300-34800	3800
14.	वरिष्ठ आशु लिपिक	5800-9200	10300-34800	4400
15.	उप-निरीक्षक मत्स्य	4020-6200	5910-20200	2400
16.	आशु टंकक	3330-6200	5910-20200	2000
17.	जूनियर असिस्टेंट	4400-7000	5910-20200	3600
18.	लिपिक	3120-5160	5910-20200	1900
19.	जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आई०टी०)	-	5910-20200	1950
20.	फार्म सहायक	3120-5160	5910-20200	1900
21.	चालक	3330-6200	5910-20200	2400
22.	मोटर बोट चालक	3120-5160	5910-20200	1900
23.	मकैनिक (ऑटो)	3120-5160	5910-20200	1900
24.	सैल्समैन-कम-लिपिक	3120-5160	5910-20200	1900
25.	फीड मील मकैनिक	3120-5160	5910-20200	1900
26.	पम्प ऑपरेटर	3120-5160	5910-20200	1900

**श्रेणी-IV**

27.	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	2820-4400	4900-10680	1650
28.	मत्स्यजीवी	2720-4260	4900-10680	1400
29.	फिल्डमैन	2720-4260	4900-10680	1400
30.	व्लीनर	2620-4140	4900-10680	1300
31.	कार्यवाहक	2620-4140	4900-10680	1300
32.	चौकीदार	2620-4140	4900-10680	1300
33.	चौकीदार-कम-स्वीपर	2620-4140	4900-10680	1300
34.	स्वीपर	2620-4140	4900-10680	1300

(xi) अपनी प्रत्येक शाखा को निर्धारित बजट, सभी योजनाओं के विवरण को प्रकाशित करना, प्रस्तावित व्यय और भुगतान पर रिपोर्ट भेजना:

वर्ष 2020-21 में अपने प्रत्येक कार्यालय को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं (Plan Schemes) का लेखाशीर्ष वार विवरण :

1. उप-निदेशक मत्स्य (मु०), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कं.स.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2021 तक
1.	2405-00-001-01 (सून)	8215.71	8215.55
2.	2405-00-101-02 (सून) (कार्प बीज उत्पादन)	744.23	742.82
3.	2405-00-101-03 (सून)	93.00	92.946
4.	2405-00-101-07 (सी90एन)	21952.97	21952.97
5.	2405-00-101-07 (एस10एन)	2277.77	2277.77
6.	2405-00-109-02 (सून)	894.83	893.91
7.	2405-00-800-01 (सून)	222.760	222.760
8.	2405-00-101-09 (एस65एन)	411.303	411.303
9.	2415-00-796-06 (सून)	500.00	500.00
10.	2059-01-053-07 (सून)	162.00	162.00
11.	2405-00-101-10 (सी90एन)	70237.20	70237.20
12.	2405-00-101-10 (एस10एन)	7803.91	7803.91
13.	2405-00-101-10 (सी53एन)	5044.80	172869.80
14.	2405-00-101-10 (एस13एन)	1261.20	1261.20
15.	2405-00-789-07 (सी90एन)	13554.405	13554.405
16.	2405-00-789-07 (एस10एन)	1506.045	1506.045
17.	2405-00-796-07 (एस10एन)	1311.00	1311.00
18.	2405-00-796-07 (सी90एन)	8505.00	8505.00
19.	2405-00-789-07 (एस65एन)	112.173	112.173
20.	2405-00-796-07 (कुन)	36.450	36.450
21.	2405-00-796-09 (एस65एन)	12.464	12.464
22.	2405-00-796-10 (सी90एन)	8075.40	8075.40
23.	2405-00-796-10 (एस10एन)	897.30	897.30
24.	2405-00-796-10 (सी53एन)	285.60	285.60

<b>25.</b>	2405-00-796-10 (एस13एन)	71.40	71.40
<b>26.</b>	2405-00-789-07 (कुन)	242.185	242.185
<b>27.</b>	2405-00-789-10 (सी90एन)	15587.40	15587.40
<b>28.</b>	2405-00-789-10 (एस10एन)	1731.90	1731.90
<b>29.</b>	2405-00-789-10 (सी53एन)	320.40	320.400
<b>30.</b>	2405-00-789-10 (एस13एन)	801.00	801.00
	<b>कुल जोड़ :</b>	<b>172871.805</b>	<b>172869.261</b>

**2. उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल (कुल्लू)**

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2021 तक
1.	2509-01-053-07(सून)	690.00	690.00
2.	2405-00-101-04(सून)	140.00	139.957
3.	2405-00-101-03(सून)	13021.674	12974.081
4.	4405-00-101-03(सून)	20053.00	20053.00
5.	2405-00-789-02	137.00	36.898
	<b>कुल जोड़ :</b>	<b>34041.674</b>	<b>33893.936</b>

**1. सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा**

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2021 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	146.9	136.900
2.	2405-00-101-02(सून) (कार्प बीज उत्पादन)	1898.30	1808.80
3.	2405-00-101-03(सून) ट्राऊट बीज फार्म	219.40	211.80
4.	2405-00-101-04(सून)	130.00	129.70
5.	4405-00-101-02(सून)	300.00	300.00
6.	2405-00-789-02(सून)	140.00	140.00
7.	2405-00-796-02(सून)	774.95	708.833
8.	2405-00-796-03(ऊस)	308.00	306.00
9.	2405-00-796-04(ऊस)	810.00	180.00
10.	2405-00-796-05(ऊस)	51.50	51.50

	कुल जोड़ :	4779.05	3973.533
--	------------	---------	----------

## 2. सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल, बिलासपुर

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2021 तक
1.	2405-00-101-02(सून)	6779.10	6730.70
2.	2405-00-101-03(सून)	50.00	50.00
3.	2405-00-101-04(सून)	307.80	307.80
4.	4405-00-101-02(सून)	7041.00	7040.00
5.	2405-00-789-02(सून)	250.00	250.00
6.	2405-00-796-05(ऊस)	25.50	25.50
7.	कुल जोड़ :	14453.40	14404.00

## 3. सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम जिला कांगड़ा

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2021 तक
1.	2405-00-101-02(सून)	4220.48	4197.23
2.	2405-00-789-02 (सून)	275.00	275.00
3.	2405-00-796-05(ऊस)	25.50	25.50
4.	4405-00-101-02 (सून)	2395.00	2395.00
5.	2509--00-053-07(सून)	870.00	870.00
	कुल जोड़ :	7785.98	7762.73

## 4. सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर जिला कांगड़ा

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2021 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	79.90	79.90
2.	2405-00-101-02(सून) (कार्प बीज उत्पादन)	125.80	125.60
3.	2405-00-101-03(सून)	9.70	9.70
4.	2405-00-101-04(सून)	140.10	139.90
5.	2405-00-789-02(सून)	154.00	154.00
6.	2405-00-796-05(ऊस)	151.00	151.00
7.	4405-00-101-04	300.00	300.00
	कुल जोड़ :	960.50	960.10

## 5. सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन (जिला सिरमौर)

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2021 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	68.424	68.424

2.	2405-00-101-02(सून)	95.00	94.64
3.	2405-00-101-03(सून)	5.40	5.40
4.	2405-00-101-04(सून)	29.995	29.995
5.	2405-00-789-02(सून)	144.00	144.00
6.	2405-00-796-05(ऊस)	25.50	25.50
7.	4405-00-789-02	12000.00	12000.00
8.	4405-00-101-03	650.00	650.00
9.	4405-00-101-04	300.00	300.00
	कुल जोड़ :	13318.319	13317.959

#### 6. सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2021 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	95.551	95.540
2.	2405-00-101-02(सून)	138.192	138.168
3.	2405-00-101-03(सून)	339.590	299.397
4.	2405-00-789-02(सून)	52.00	52.00
5.	2405-00-796-02(सून)	250.00	250.00
6.	2405-00-796-04(ऊस)	540.00	540.00
7.	2405-00-101-04(सून)	97.50	97.49
	कुल जोड़ :	1512.833	1472.595

#### 7. सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी

कं.सं	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2021 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	277.40	277.30
2.	2405-00-101-02(सून) (मछली बीज उत्पादन)	244.10	241.20
3.	2405-00-101-09(सून)	6.05	6.05
4.	2405-00-101-04(सून)	360.90	360.80
5.	2405-00-789-02(सून)	159.00	159.00
6.	2405-00-796-05(ऊस)	25.50	25.50
7.	4405-00-101-03(सून)	11835.00	11835.00
8.	4405-00-101-04(सून)	600.00	600.00
	कुल जोड़ :	13507.95	13504.85

#### 8. सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2021 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	73.997	73.993

2.	2405-00-101-02(सून)	380.738	380.459
3.	2405-00-101-03(सून)	107.453	107.230
4.	2405-00-101-04(सून)	319.410	319.325
5.	2405-00-789-02(सून)	25.00	25.00
6.	2405-00-796-05(ऊस)	25.00	25.00
	<b>कुल जोड़ :</b>	<b>931.598</b>	<b>931.007</b>

#### 9. सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2021 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	125.739	125.726
2.	2405-00-101-02(सून)	91.073	90.977
3.	2405-00-101-04(सून)	141.48	141.428
4.	2405-00-789-02(सून)	34.00	34.00
5.	2405-00-796-05(ऊस)	25.50	25.50
6.	2405-00-101-03(सून)	10.511	10.511
7.	<b>कुल जोड़ :</b>	<b>428.303</b>	<b>428.142</b>

#### 10. सहायक निदेशक मत्स्य, हमीरपुर

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2021 तक
1.	2405-00-001-01-(सून)	10.00	10.00
2.	2405-00-796-05(ऊस)	25.50	25.50
3.	2405-00-789-02(सून)	30.00	30.00
4.	4405-00-101-02	6.00	6.00
5.	4405-00-101-02	800.00	800.00
	<b>कुल जोड़ :</b>	<b>871.50</b>	<b>871.50</b>

(xii) आबंटित राशि सहित अनुदान कार्यक्रमों को लागू करने का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :-

आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थियों का चयन उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य / मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा किया जाता है और सम्पूर्ण मामला सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य / उप-निदेशक मत्स्य को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। आर्थिक सहायता सुविधा का

विस्तार नियमों के अन्तर्गत सीमाओं के भीतर रहकर निर्धारित किया जाता है।

(xiii) विभाग द्वारा छूट, स्वीकृतियां अथवा अधिकार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण :-

विभाग द्वारा कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की जाती।

(xiv) इलैक्ट्रोनिक रूप में विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी के सम्बन्ध में विवरण :-

- ❖ विभागीय स्कीमों के बारे में जानकारी विभागीय वैब साईट <http://hpfisheries.nic.in> पर ली जा सकती है।
- ❖ विभाग की वैवसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

(xv) एक पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम के कार्य सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए जनता के प्रयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

विभाग से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैब साइट <http://hpfisheries.nic.in> में देखी जा सकती है। कोई भी नागरिक इस सूचना को प्राप्त कर सकता है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में जनता के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या रीडिंग रूम की सुविधा या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(xvi) नाम, पद और अन्य जन सूचना अधिकारियों का विवरण :-

### मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश

#### राज्य स्तरीय

अपील सम्बन्धी अधिकारी	पद और कार्यालय पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	दूरभाष/फैक्स नंबर
पहला अपील अधिकारी	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य निदेशालय मत्स्य पालन, बिलासपुर	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	fisheries-hp@nic.in	01978-224068 (कार्यालय) 223390 (घर)

	हिमाचल प्रदेश			मोबाईल-941 80- 07615
--	---------------	--	--	----------------------------

### राज्य स्तरीय

पी.आई. ओ./ए. पी.आई. ओ.	पद और कार्यालय का पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	कार्यालय दूरभाष नंम्बर
पी.आई. ओ.	उप-निदेशक मत्स्य (मु०) निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश-174001	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	ddfiseries-bil-hp- @nic.in	01978- 223212 (कार्यालय)
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(मु०)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	Adfisheries-bpl- hp@nic.in	01978- 223212 (कार्यालय)
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(20 सूत्रीय)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	---	01978- 223212 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	अधीक्षक घेड-I निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	devsainnegeri9951@g mail.com	01978- 223212 (कार्यालय)

### जिला स्तर

कं.सं.	पद और कार्यालय का पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	कार्यालय दूरभाष नंम्बर
जिला बिलासपुर				

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर	जिला बिलासपुर	Adfisheries1-bil- hp@gov.in	0 1 9 7 8 – 2 2 2 5 6 8 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी दियोली (घाघर)	मत्स्य फार्म दियोली (घाघर)	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी लठियानी, जिला ऊना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, लठियानी	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी भाखड़ा, जिला बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, भाखड़ा	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी संरक्षण, बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बिलासपुर	...	...
ए.पी. आई.ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, मान्दली	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, मान्दली	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, जगातखाना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, जगातखाना	...	...

### जिला मण्डी

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मण्डी	जिला मण्डी	adf-mandi- hp@nic.in	0 1 9 0 5 – 2 3 5 1 4 1 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी	कार्प मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म, वरोट, जिला मण्डी	ट्राउट फार्म, वरोट, जिला मण्डी	...	...

<b>जिला कुल्लू</b>				
पी.आई. ओ.	उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	जिला कुल्लू	ddfiseries-kul- hp@nic.in	01902- 240163 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पतलीकुहल, जिला कुल्लू	इण्डो ट्राइट फार्मिंग प्रोजैक्ट पतलीकुहल	...	01902- 240163 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू	बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, हामणी, जिला कुल्लू	हामणी, जिला कुल्लू	...	...

**पौंगडैम**

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा	Adfisheries-pong- hp@ nic.in	01893- 201282 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमेटा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, धमेटा	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, देहरा	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ज्वाली, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, ज्वाली	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, नगरोटा सूरियां	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, बरनाली, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, बरनाली	...	...

ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, नन्दपुर, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, नन्दपुर	...	...
----------------	---	------------------------------------	-----	-----

### जिला चम्बा

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा	Adfisheries-cha- hp@ nic.in	0 1 8 9 9 – 2 2 3 8 0 1 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, द्राऊट मत्स्य फार्म, होली, जिला चम्बा	द्राऊट फार्म, होली,	...	...

### हमीरपुर और कांगड़ा (पौंगडैम सहित)

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा (पौंग जलाशय सहित) और हमीरपुर	Adfisheries-pal-hp@ nic.in	0 1 8 9 4 – 2 3 1 8 7 2 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर	जिला हमीरपुर	...	...
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर	जिला पालमपुर	...	...
ए.पी. आई.ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, कांगड़ा	मत्स्य फार्म, कांगड़ा	...	...

### जिला किन्नौर और शिमला

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला-5	जिला शिमला और किन्नौर	adfish-sml-hp@ nic.in	0 1 7 7 – 2 8 3 0 1 7 1 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, शिमला	जिला शिमला	...	...

ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमबाड़ी	ट्राउट फार्म, धमबाड़ी	...	...
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, सांगला	ट्राउट फार्म, सांगला	...	...

### जिला सिरमौर और सोलन

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, स्थित शामती, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश	जिला सोलन और सिरमौर	Adfisheries- sol-hp @nic.in	01792- 229454 (कार्यालय) 01702. 224985
ए.पी. आई.ओ.	जूनियर असिस्टेंट, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सोलन	जिला सोलन		01792- 229454 (कार्यालय)
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702. 224985 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	लिपिक, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सिरमौर	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702. 224985 (कार्यालय)

### जिला ऊना

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना, हिमाचल प्रदेश	जिला ऊना	Adfisheries- una-hp@nic.in	01975- 227792 (कार्यालय)
ए.पी. आई. ओ.	जूनियर असिस्टेंट, सहायक निदेशक मत्स्य ऊना	जिला ऊना	---	01975- 227792 (कार्यालय)

ए.पी. आई. ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, निदेशक उन्ना	सहायक मत्स्य, मत्स्य,	जिला उन्ना	...	01975- 227792 (कार्यालय)
--------------------	---	-----------------------------	------------	-----	--------------------------------

वर्ष 2020-21 में सेवा निवृत विभागीय अधिकारी/कर्मचारी 2020-21 की सेवा  
निवृतियां (अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक)

कं.सं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृति वर्ष 2020-21
1.	श्री मनोहर लाल	अधीक्षक ग्रेड-II	30/04/2020
2.	श्री कृष्णकांत नागीया	वरिष्ठ सहायक	30/04/2020
3.	श्री प्रभु लाल	उप-निरीक्षक मत्स्य	31/05/2020
4.	श्री मदन लाल	लिपिक	31/05/2020
5.	श्री विद्या सागर	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/05/2020
6.	श्री सुरेश कुमार	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/05/2020
7.	श्री विपिन कुमार	मत्स्य जीवि	31/01/2021
8.	श्री धर्मपाल	मत्स्य जीवि	28/02/2021
9.	श्री पंजाब सिंह	मत्स्य जीवि	28/02/2021
10.	श्री कृष्ण लाल	मत्स्य जीवि	31/03/2021

\*\*\*\*\*

**2020-21**

**Phone-n-Fax: 01978-224068**